न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

नामान्तरणकरण अपील सख्या 12/2021

अपीलकर्ता :–

1. हटसिंह पुत्र खीमसिंह जाति राजपूत
2. अर्जुनसिंह पुत्र खीमसिंह जाति राजपूत
3. महेन्द्रसिंह पुत्र खीमसिंह जाति राजपूत

   निवासीगण मवडी तहसील सिवाना जिला बाड़मेर।

ब ना म

रेस्पोडेंट :–

1. ग्राम पंचायत मवडी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत, मवड़ी/देवन्दी तहसील सिवाना जिला बाडमेर।
2. करणसिंह पुत्र लालसिंह
3. अंनसिंह पुत्र मानसिंह
4. आशुसिंह पुत्र मानसिंह
5. गोपालसिंह पुत्र मानसिंह
6. तनसिंह पुत्र मानसिंह
7. दरियाव कंवर पत्नी मानसिंह
8. हडमतसिंह पुत्र शिवनाथसिंह
9. मांगुसिंह पुत्र चन्दनसिंह
10. गुमानसिंह पुत्र चन्दनसिंह
11. बाबुसिंह पुत्र चन्दनसिंह
12. मोहन कंवर पत्नी चन्दनसिंह
13. देवीसिंह पुत्र सरदारसिंह जातियान राजपूत सभी निवासीगण

    मवडी तहसील सिवाना जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी (SDM) ...वाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.03.10 13:43:46 IST
Reason: SelfAttested

नामान्तरणकरण संख्या 227 [illegible]यत देवन्दी/मवड़ी दिनांक 18.03.1975 के विरुद्ध [illegible] अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक : - 05.10.2021

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

यह अपील ग्राम पंचायत देवन्दी के आदेश दिनांक 18.03.1975 को नामान्तरणकरण संख्या 227 पर पारित किया गया, के विरूद्ध अपीलांटगण ने प्रस्तुत की है। अपील के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के खेत खसरा संख्या 352/1 रकबा 19 बीघा 13 विस्वा वर्तमान नया खसरा 508/352 रकबा 3.1808 हैक्टेयर सरहद मौजा निम्बेश्वर मवडी में अवस्थित है, जो भूमि पूर्व में त्रुटिवश मिसरिया पुत्र पनिया के नाम दर्ज हो गई थी, जबकि कब्जा काश्त मौके पर अपीलकर्तागण के पिता खीमसिंहजी का था व रहा कभी भी उक्त भूमि मिसरिया पुत्र पनिया के कब्जा काश्त की नही रही लगान की राशि भी खीमसिंहजी ही भरते थे जिस पर तत्कालीन सहायक कलेक्टर, बालोतरा के समक्ष अपीलकर्तागण के पिता खीमसिंह पुत्र लालसिंह के द्वारा प्रतिवादी मिसरिया के विरूद्ध एक राजस्व वाद अधिकारों की घोषणा का प्रस्तुत हुआ, जो वाद राजस्व प्रकरण संख्या 97/1974 जिसमें माननीय सहायक जिलाधीश महोदय, बालोतरा द्वारा उक्त वाद को दिनांक 26.11.1974 को स्वीकार कर वादी यानि अपीलकर्ता के पिता खीमसिंहजी का नाम राजस्व रेकर्ड मे उक्त वादग्रस्त भूमि मे दर्ज करने का आदेश जारी किया गया व खातेदार टिनेन्ट घोषित कर वादी खीमसिंह के पक्ष मे डिक्री पारित की गई। उक्त डिक्री दिनाक 26.11.1974 की पालना में तत्कालीन हल्का पटवारी मवडी को मात्र खीमसिंहजी का ही नाम उक्त वादग्रस्त भूमि 508/352 (पूर्व खसरा 352/1) में दर्ज करना था, लेकिन रेस्पोडेट संख्या 1 द्वारा उक्त डिक्री की पालना में अवैध एवं अनुचित तरीके से अपीलकर्तागण के पिता खीमसिह के स्थान पर रेस्पोडेंट व उसके पिता के नाम भी खातेदारी मे संयुक्त रूप से दर्ज कर दिया गया, जबकि रेस्पोडेंट का नाम उक्त डिक्री में किसी प्रकार का नाम नहीं था, फिर भी रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अवैध एवं अनुचित तरीके से रेस्पोडेंटगण संख्या 2 ता 13 का नाम व उनके पिता का नाम खीमसिंह के साथ दर्ज कर नामान्तरकरण संख्या 227 पारित कर दिया, जो ग्राम पंचायत द्वारा अवैध रूप से माननीय न्यायालय के निर्णय अनुसार न कर अवैध तरीके से अपीलाट के साथ रेस्पोडेन्टान का नाम स्वीकार कर नामान्तरकरण पारित कर अपीलान्ट के हको से महरूम करते हुए स्वीकार तक कर दिया गया है। अपीलाटगण के पिता खीमसिंह को बिना सुने म्यूटेशन पारित करने से पूर्व बिना नोटिस दिये गलत व अवैध तौर से भरा, जिससे Natural Law of Justice के सिद्धान्त की अवहेलना की [illegible] म्यु[illegible] Void ab inition होने से अवैध व शून्य है। ऐसे आदेश/नामान्तरणकरण [illegible] कभी भी चुनोती दी जा सकती है। अपीलाटगण के अधिकार उक्त भूमि [illegible] न्यायालय के निर्णय की पालना में आया है, उसमें कटोती करने अथवा महरूम रखने का अधिकार भी नहीं था। जो नामान्तरकरण विधि के विपरीत पारित होने के कारण खारिज योग्य है। अपील में नामान्तरणकरण संख्या 227 दिनांक 18.03.1975 को चुनोती दी गई है। विधि विरूद्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.03.10 13:43:46 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

किसी भी कार्यवाही, आदेश, नामान्तरणकरण को चुनौती देने हेतु कोई म्याद बिन्दू लागू नहीं होता है। अपीलकर्तागण सख्या 1 हटसिंह द्वारा दिनांक — 17.02.2021 को अपने भूमि में आये मुआवजे को लेकर दस्तावेज खोज रहा था, तब खीमसिंहजी की पेटी में उक्त पुराने निर्णय की फोटो प्रति प्राप्त हुई, जिसपर फोटो प्रति के आधार पर दिनांक 19.02.2021 को भू–अभिलेख कार्यालय जिला कलेक्टर, बाड़मेर से नकल की मांग की व नामान्तरकरण संख्या 227 की नकले मांगी तब प्रथम बार यह जानकारी हुई कि उक्त नामान्तरकरण खीमसिंहजी के हद तक तो सही था, लेकिन रेस्पोडेंट के नाम नामान्तरकरण पारित किया है, जो पूर्णतया गलत किया है। जिस पर उक्त नामान्तरकरण को निरस्त करवा कर नये सिरे से नामान्तरकरण पारित करने हेतु अपील प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है, जिस पर जानकारी होने से अन्दर म्याद अपील पेश की गई, साथ ही धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ कर अपील अंदर म्याद शुमार की जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट के विरूद्ध सम्मन जारी किये गये। रेस्पोडेंट पर सम्मन तामिल होने पर रेस्पोडेन्ट की ओर से अधिवक्ता श्री अचलाराम उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 देवन्दी/मवडी से उक्त नामान्तरकरण की पत्रावली तलब की गई, लेकिन ग्राम पंचायत मवडी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर यह कहा गया कि, सन् 1975 में ग्राम पंचायत मवडी अस्तित्व मे नही थी तथा ग्राम पंचायत मवडी सन् 1995 में बनी है तत्समय का रिकार्ड ग्राम पंचायत देवन्दी में है जिस पर ग्राम पंचायत देवन्दी से रिकार्ड तलब किया गया, लेकिन ग्राम पंचायत देवन्दी द्वारा सरपंच उपस्थित होकर रिकार्ड नष्ट होने से उपलब्ध करवाने में असमर्थता जताई। रेस्पोडेन्ट सख्या 3 ता 13 की ओर से अधिवक्ता ने धारा 5 परीसीमा अधिनियम के प्रार्थनापत्र का का जवाब पेश का अपिलकर्ता की अपील 45 वर्षो की देरीना होने से म्याद बाहर होने से तथा अपीलकर्ता के धारा 5 परीसीमा अधिनियम के प्रार्थनापत्र मे ऐसा कोई स्पष्टकारण व स्पष्टीकरण नही दिया की किस कारण से उक्त अपील करने मे देरी हुई उपरोक्त स्पष्टीकरण के अभाव मे उक्त अपील म्याद बाहर होने से खारीज किये जाने योग्य है तथा रेस्पोडेन्ट की ओर से अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि उक्त नामान्तरकरण सख्या 227/18.03.1975 के बाद नामान्तरकरण सख्या 165, 299, 197 पारित हुये है अर्थात अपीलकर्तागण उक्त प्रश्नगत नामान्तरकरण की पुर्णतया जानकारी मे था फिर भी अपीलकर्ता ने नामान्तरकरण सख्या 227 को निरस्त करवाने हेतु देरी बावत अपील प्रस्तुत की है अतः अपील, अपीलकर्ता म्याद बाहर होने से खारीज करने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Choudhary
Date: 2022.03.10 13:43:46 IST
Reason: SelfAttested

हमने अपीलांटगण व रेस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी तथा पत्रावली का अध्ययन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

प्रस्तुत अपील नान्तरणकरण संख्या 227 की स्वीकृति तिथि 18.03.1975 को काफी समय अवधि के व्यतीत होने के पश्चात प्रस्तुत की गई है। म्याद के बिन्दू पर वकील अपीलांट ने बहस मे अपील मे व्यक्त तथ्यों को दोहराया है। अपील के अवलोकन पर जाहिर है कि उक्त भूमि पूर्व मे त्रुटिवश मिसरीया पुत्र पन्नीया के नाम दर्ज हो गई थी जबकि उक्त भूमि पर कब्जा काश्त अपीलान्ट के पिता खीमसिंह जी का वक्त सेटलमेन्ट के लगाकर आज रोज तक अपीलान्ट का रहा व है लेकिन उक्त त्रुटि से आये नाम हटाने हेतु तत्कालीन सहायक कलेक्टर बालोतरा के समक्ष अपीलकर्ता के पिता खीमसिह द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया, जो राजस्व वाद संख्या 97/1974 बअनवान खीमसिंह बनाम मिसरीया वगैरा, दर्ज किया जाकर दिनांक 26.11.1974 को अपीलान्ट के पिता खीमसिंह के हक मे वाद डिक्री किया जाकर वादग्रस्त खसरा में खीमसिंह का नाम दर्ज करने की डिक्री जारी की गई, जो डिक्री मय राजस्व वाद संख्या 97/1974 की प्रमाणित प्रतिलिपि साथ पेश है। उक्त डिक्री के अनुसार ग्राम पंचायत देवन्दी को खीमसिह के नाम नामान्तरकरण पारित करना था लेकिन ग्राम पंचायत देवन्दी द्वारा उक्त निर्णय की पालना न कर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 13 के हकपूर्वाधिकारीयों के नाम भी साथ में दर्ज कर दिये, जो कि अवैध व अनुचित तथा ग्राम पंचायत ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कोर्ट के आदेश की पालना की। इन सभी परिस्थितियो एवं प्रस्तुत आवेदन पत्र, शपथपत्र एवं सुयोग्य अधिवक्ता अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत आर आर टी 2009 (2) पेज नंबर 1102 में प्रतिपादित सिद्धांत माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा बअनवान भंवरसिंह वगैरा बनाम राजस्व बोर्ड वगैरा का म्याद अवधि बाबत भी प्रस्तुत किया गया। इन सभी पर गौर कर अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा कर अपील अंदर म्याद शुमार की जाती है।

नामान्तरणकरण संख्या 227 के अवलोकन पर जाहिर है कि खेत खसरा संख्या 352/1 रकबा 19 बीघा 13 बिस्वा वर्तमान नया खसरा 508/352 रकबा 3.1808 हैक्टेयर सरहद मौजा निम्बेश्वर मवडी में अवस्थित हैं, जिसके बाबत् राजस्व प्रकरण संख्या 97/1974 जिसमें माननीय सहायक जिलाधीश महोदय, बालोतरा द्वारा उक्त वाद को दिनांक 26.11.1974 को स्वीकार कर वादी यानि अपीलकर्ता के पिता खीमसिंहजी का नाम राजस्व रेकर्ड में उक्त वादग्रस्त भूमि में दर्ज करने का आदेश जारी किया गया व खा... घोषित कर वादी खीमसिंह के पक्ष में डिक्री पारित की गई। उक्त डिक्री की ... में तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा मात्र खीमसिंहजी का ही नाम उक्त वादग्रस्त भूमि 508/352 (पूर्व खसरा 352/1) में दर्ज करनी थी, लेकिन रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा उक्त डिक्री की पालना में अवैध एवं अनुचित तरीके से अपीलकर्तागण के पिता खीमसिंह के स्थान पर रेस्पोडेंट व उसके पिता के नाम भी खातेदारी में संयुक्त रूप से अभिलेख में नाम की प्रविष्टी

उपखण्ड अधिकारी (SDM) सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.03.10 13:43:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

की गई है जो कदापि न्यायोचित नहीं है। ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के अभाव में मात्र सरपंच द्वारा पारित नामान्तरणकरण का कोई कानूनी महत्व भी नहीं है। अतः सरपंच ग्राम पंचायत देवन्दी का नामान्तरणकरण संख्या 227 दिनांक 18.03.1975 विधिपूर्वक नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर ग्राम मवड़ी के नामान्तरणकरण संख्या 227 पर सरपंच ग्राम पंचायत देवन्दी (नव सृजित ग्राम पंचायत मवडी) के आदेश एवं म्यूटेशन दिनांक 18.03.1975 को निरस्त कर आदेश दिया जाता है कि इस न्यायालय के निर्णय /डिक्री दिनांक 26.11.1974 प्रकरण संख्या 97/1974 बअनवान खीमसिंह बनाम मिसरीया के अनुसरण में खेत खसरा संख्या 352/1 रकबा 19 बीघा 13 विस्वा वर्तमान नया खसरा 508/352 रकबा 3.1808 हैक्टेयर सरहद मौजा निम्बेश्वर मवड़ी में अपीलान्ट खीमसिंह के वारिसान् के नाम नामान्तरणकरण स्वीकृत किये जाने का आदेश दिया जाता है तहसीलदार सिवाना तथा हल्का पटवारी मवडी को इसी प्रकार आदेश की पालना करने व अभिलेख में इन्द्राज करने के आदेश दिया जावे।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना
सिवाना (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 05.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी सिवाना
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.03.10 13:43:46 IST
Reason: SelfAttested